बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका संख्या–5/आ0–4–109/2016– 397 पटना, दिनांक– 10/05/18

श्री बदरूल दोजा, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा–मंझौल एवं टेकनपुरा, प्रमंडल–बेगूसराय सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा–बारसोई, प्रमंडल–कटिहार के विरूद्व संसूचित आरोपों यथा संवेदक को अनियमित रूप से लाभ पहुँचाने, मझौल एवं टेकनपुरा ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने तथा मापी–पुस्तिका में गलत माप अंकित करने आदि से संबंधित आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाये गये।

2. श्री दोजा के विरूद्व प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के आलोक में आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय आदेश संख्या–158 दिनांक–07.03.2017 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. मुख्य अभियंता (रूपांकण)–सह–जाँच संचालन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के गैर सरकारी प्रेषण संख्या–174, दिनांक–20.07.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री दोजा के विरूद्व आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित छः आरोपों में से एक आरोप को अप्रमाणित एवं पाँच आरोपों को प्रमाणित बताया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–650, दिनांक–28.08.2017, स्मार पत्रांक–992, दिनांक–17.11.2017 एवं स्मार पत्राक–84, दिनांक–24.01.2018 के द्वारा श्री दोजा को जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के आलोक में द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया, परन्तु श्री दोजा से द्वितीय कारणपृच्छा का प्रत्युत्तर अंततः अप्राप्त रहा।

4. उक्त के आलोक में विभागीय स्तर पर मामले की समीक्षा की गई एवं सम्यक विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत श्री बदरूल दोजा, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा–मंझौल एवं टेकनपुरा, प्रमंडल–बेगूसराय सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा–बारसोई, प्रमंडल–कटिहार के विरूद्व निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

(i) संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतनवृद्धियों पर रोक।

9.5.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)

अभियंता प्रमुख

Abhi.order

ज्ञापांक--5/आ0-4-109/2016- 397 पटना, दिनांक- 10/05/18

Email

प्रतिलिपि-~~सभी~~ मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी-2/आई0टी0, मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ श्री बदरूल दोजा, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा-बारसोई, प्रमंडल-कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Scmishra 9.5.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)

अभियंता प्रमुख

9/5/18

Abhi.order